



भारत सरकार
आयुक्तालय, केंद्रीय कर, सीजीएसटी, लेखापरीक्षा-1, दिल्ली
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, CGST AUDIT-I DELHI
सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002
C. R. BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110002.

C. No. I-7(1)/GST Audit-I/Housekeeping/2018

Dated:

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)

विषय:- हाउसकीपिंग सेवाओं को किराए पर लेने के लिए निविदा सूचना (अकुशल/अर्धकुशल श्रमिकों के लिए बोली/कोटेशन)

सहायक आयुक्त (प्रशासन), जीएसटी लेखापरीक्षा-I दिल्ली, आयुक्त कार्यालय की ओर से जीएसटी लेखापरीक्षा-I दिल्ली, सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए कार्यालय सीआर बिल्डिंग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली में स्थित है और इसके संलग्न कार्यालय 12373 वर्ग फुट के क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए 01.07.2019 से प्रभावी हैं, प्रति वर्ग फुट के आधार पर अकुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित प्लेसमेंट एजेंसियों / जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं से दो बोलियों यानी तकनीकी और वित्तीय बोलियों को शामिल करते हुए ऑनलाइन बोली / कोटेशन आमंत्रित करता है।

1. निविदा दस्तावेज हमारी क्षेत्रीय वेबसाइट www.gstdelhi.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के माध्यम से ऑनलाइन बोली/कोटेशन जमा करना अनिवार्य है। मैनुअल/ऑफलाइन बोली/उद्धरण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> नियमित रूप से देखें। निविदा में कोई भी परिवर्तन/संशोधन शुद्धिपत्र द्वारा केवल इस वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
3. 4. जमा करने की अंतिम तिथि 20.06.2019 को 15:00 बजे तक है। बोली/उद्धरण दिनांक 21.06.2019 को 15:30 बजे खोली जाएगी। यदि सरकार द्वारा निविदा खोलने के निर्धारित दिनांक के दिन कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोली/उद्धरण अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएगी।
4. यदि केवल एक बोली/उद्धरण प्राप्त होता है, तो सक्षम प्राधिकारी बोली की अवधि बढ़ा सकता है, और ऐसी विस्तारित अवधि के बाद प्राप्त बोली/बोलियों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
5. आयुक्त, जीएसटी लेखापरीक्षा-I दिल्ली आयुक्तालय बिना कोई कारण बताए, जो भी हो, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में आयुक्त का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।
6. यदि किसी भी स्तर पर, निविदा प्रक्रिया से पहले/बाद में, यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण/दस्तावेज झूठा/भ्रामक/मनगढ़त है, तो उसकी/उसकी बोली उचित शुल्क के साथ अस्वीकृति/अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगी। यदि ऐसी अस्वीकृति/अयोग्यता बोली/उद्धरण खोले जाने के बाद होती है और उच्चतम बोली लगाने वाले को अस्वीकार/अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो आयुक्त,

जीएसटी लेखापरीक्षा-I दिल्ली आयुक्तालय अगले बोलीदाता पर विचार करने या कोई अन्य उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है चयन प्रक्रिया को रद्द करने सहित ठीक समझा जाएगा।

7. बोली/उद्धरण जमा करने की नियत तारीख से पहले किसी भी समय, सहायक आयुक्त (प्रशासन) किसी भी कारण से अपनी पहल पर या फर्मों द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के किसी भी जवाब में, संशोधनों द्वारा एनआईटी दस्तावेजों को संशोधित कर सकता है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
8. बोली/उद्धरण 21.06.2019 को 15:30 बजे खोली जाएगी। तकनीकी बोली/उद्धरण पहले खोली जाएगी और वित्तीय बोली/उद्धरण बाद में खोली जाएगी।
9. जिस बोली/उद्धरण के लिए वापसी की सूचना प्रस्तुत की गई है, उसे नहीं खोला जाएगा। केवल उन्हीं बोली/उद्धरणों पर विचार किया जाएगा जो नियत तारीख और समय को या उससे पहले प्राप्त होती हैं और जिनमें वांछित सभी जानकारी होती है।

संलग्नक:-

- (i) नियम और शर्तें।
- (ii) तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के लिए प्रारूप
- (iii) तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट।
- (iv) घोषणा के लिए प्रारूप।

सूचना के लिए प्रतिलिपि :-

1. www.gstdelhivezone.gov.in
2. अधीक्षक (मुख्यालय) जीएसटी लेखा परीक्षा-1।
3. आम जनता के लिए नोटिस बोर्ड।

(अमन मित्तल) सहायक आयुक्त (प्रशासन)
जीएसटी लेखापरीक्षा - I, सीजीएसटी दिल्ली।

नियम और शर्तें

[आयुक्त, जीएसटी लेखापरीक्षा-1 दिल्ली आयुक्तालय, सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर अकुशल और अर्ध-कुशल श्रम प्रदान करने के लिए बोली दस्तावेज।]

1. सहायक आयुक्त (प्रशासन), जीएसटी लेखापरीक्षा-1 दिल्ली, आयुक्त कार्यालय की ओर से जीएसटी लेखापरीक्षा-1 दिल्ली, सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए कार्यालय सीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली में स्थित है और इसके संलग्न कार्यालय 12373 वर्ग फुट के क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए 01.07.2019 से प्रभावी हैं, प्रति वर्ग फुट के आधार पर अकुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित प्लेसमेंट एजेंसियों / जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं से दो बोलियों यानी तकनीकी और वित्तीय बोलियों को शामिल करते हुए ऑनलाइन बोली / कोटेशन आमंत्रित करता है।
2. निविदा दस्तावेज ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के माध्यम से ऑनलाइन बोली/कोटेशन जमा करना अनिवार्य है। मैन्युअल/ऑफलाइन बोली/उद्धरण किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> नियमित रूप से देखें। निविदा में कोई भी परिवर्तन/संशोधन शुद्धिपत्र द्वारा केवल इस वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
3. निविदाएँ/बोलियां दो बोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोली के तहत आमंत्रित की जाती हैं। बोलीदाताओं/एजेंसियों को अलग-अलग "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।
4. प्लेसमेंट एजेंसी/जनशक्ति आपूर्तिकर्ता को तकनीकी बोली और वित्तीय बोली इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित अंतिम तिथि और समय की समाप्ति के बाद कोई भी बोली प्राप्त/अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. तकनीकी बोली पहले निर्धारित तिथि और समय पर खोली जाएगी, सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हुए, तकनीकी रूप से योग्य, पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोली ही खोली जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।
6. आयुक्त, जीएसटी लेखापरीक्षा-1 दिल्ली आयुक्तालय में न्यूनतम 10 अकुशल और 01 अर्धकुशल जनशक्ति की आवश्यकता है।
7. तकनीकी-वाणिज्यिक ग्रेडिंग के अनुसार बोलियों को अंतिम रूप देने के लिए स्कोरिंग प्रणाली होगी जिसमें तकनीकी बोली को 30% और वित्तीय बोली को 70% महत्व दिया जाएगा। तकनीकी बोली के 7.30% में निम्नलिखित शर्तों वाली फर्मों को वरीयता शामिल होगी:

क्र.स	तकनीकी बोली के लिए वरीयता मानदंड	प्रत्येक मानदंड को आवंटित अंक
1	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में 2 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्में	15
2	पिछले तीन वर्षों में दो सरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक उपक्रमों के लिए काम किया (संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र जमा करें)	10
3	पिछले तीन वर्षों में सीबीआईसी कार्यालयों के किसी भी संगठन के लिए काम किया (विभाग से संतोषजनक रिपोर्ट जमा करें)	05

वित्तीय बोली के 70% की गणना नीचे दिए गए सूत्रों के अनुसार की जाएगी:

सबसे कम बोली जमा की गई X 70

वित्तीय बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत की गई

8. संविदा का चयन एवं अवार्ड तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली में प्राप्त अंकों को जोड़कर उच्चतम अंक के आधार पर किया जायेगा। ठेका उस बोलीदाता को दिया जाएगा जिसने कुल अंक सर्वाधिक प्राप्त किए हैं।

7. बोलीदाता के लिए योग्यता:

बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उनकी बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ए) पैन की प्रति।

बी) ईपीएफ और ईएसआई प्रमाणपत्रों की प्रतियां, जैसा लागू हो।

सी) जीएसटीआईएन नंबर (जीएसटी के लिए अनंतिम आईडी) की प्रति, जैसा लागू हो।

डी) सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त संगठनों/पीएसयू में पिछले तीन वर्षों के दौरान जनशक्ति प्रदान करने का कार्य अनुभव।

1. बोली लगाने वाले के लिए तकनीकी आवश्यकताएं

क) बोलीदाता को उचित पंजीकरण प्राधिकारी जैसे जीएसटी, ई.एस.आई, ई.पी.एफ., जीएसटीएन आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए जैसा कि कानून के अनुसार लागू है।

ख) अकुशल श्रमिकों की आयु 21-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और विक्रेता को सौंपे गए कार्य के लिए उनकी चिकित्सा फिटनेस सुनिश्चित करनी चाहिए।

ग) एजेंसी को इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा।

डी) एजेंसी को हर महीने कार्यालय की नौकरी के लिए लगे अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ईएसआई और ईपीएफ योगदान के दस्तावेजी प्रमाण के साथ बिल जमा करना होगा। इस संबंध में, न्यूनतम मजदूरी उक्त तिथि पर लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

8. अन्य नियम और शर्तें

1. सामान्य

- i) अनुबंध 1.4.2015 से शुरू होने की संभावना है और एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा, जब तक कि इस कार्यालय द्वारा सेवा की कमी, तैनात जनशक्ति की घटिया गुणवत्ता, अनुबंध का उल्लंघन, काम की आवश्यकताओं में कमी या समाप्ति के कारण इसे कम या समाप्त नहीं किया जाता है।
- ii) ठेका एजेंसी और इस कार्यालय की आपसी सहमति से अनुबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है और ऐसा विस्तार सरकार के अनुमोदन के अधीन है।
- iii) यह कार्यालय सेवा में किसी प्रकार की कमी के मामले में ठेका एजेंसी को एक महीने का नोटिस देने के बाद अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- iv) सफल बोलीदाता को समय-समय पर संशोधित और भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित श्रमशक्ति को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भविष्य निधि, और कर्मचारी राज्य बीमा आदि के साथ करना होगा। इस कार्यालय में इसके द्वारा तैनात व्यक्तियों के संबंध में, सफल बोलीदाता कानून/अधिनियमों के तहत आवश्यक उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा और मासिक बिलों के साथ ईएसआई और पीएफ जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- vi) सफल बोलीदाता बोली जमा करते समय या उसके बाद के चरण में उसके द्वारा दिए गए विवरण से बाध्य होगा। यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई भी दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत/भ्रामक पाया जाता है, तो इसे अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे वह अपनी ओर से आवश्यक दंड/प्रभार के दायित्व के साथ रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- vii) सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि जनशक्ति बोली दस्तावेज में निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं, योग्यता और अनुभव के अनुरूप है।
- viii) सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यालय, परिचालन प्रक्रिया, गोपनीय जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था, और प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों का कोई भी विवरण इस कार्यालय में तैनात उसके कर्मियों द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रकट या प्रकट नहीं किया जाता है।
- ix) यदि सफल बोलीदाता द्वारा नियोजित व्यक्ति कोई भी चूक/कमीशन करता है जो कदाचार/अनुशासन/अक्षमता/सुरक्षा जोखिम के बराबर है, तो सफल बोलीदाता ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें उन्हें हटाया जाना भी शामिल है। उसके संज्ञान में लाए जाने पर तुरंत कार्य स्थल।
- x) अकुशल/अर्धकुशल श्रमिकों को विभाग द्वारा अपेक्षित विविध कार्य करने की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
- xi) तैनात अकुशल/अर्धकुशल श्रमिक दिखने में हमेशा साफ-सुथरे, विनम्र लेकिन दृढ़ और विविध कार्यों के निर्वहन के लिए प्रस्तुत भौतिक मानकों को पूरा करना चाहिए।
- xii) सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, संविदात्मक सेवाओं के लिए इस कार्यालय में नियोजित और तैनात जनशक्ति के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के अर्थ में सफल बोलीदाता "नियोक्ता" होगा। बोलीदाता द्वारा सौंपे गए किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) का इस विभाग में नियमित या तदर्थ रोजगार/आमेलन के लिए कोई दावा नहीं होगा।
- xiii) सफल बोलीदाता अपने कार्यों/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान तैनात किसी भी व्यक्ति को किसी भी नुकसान, हानि, दावों, वित्तीय या अन्य चोट के लिए या किसी मुआवजे के भुगतान के लिए पूरी

तरह से जिम्मेदार होगा। विभाग किसी भी मुआवजे या नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

xiv) ठेकेदार द्वारा अनुबंध के लिए तैनात मानव शक्ति दावे, वेतन, अनुलाभों और अन्य सुविधाओं के लिए हकदार नहीं होगी जो इस कार्यालय के आकस्मिक, तदर्थ नियमित/पुष्टि किए गए कर्मचारियों के लिए, अनुबंध के दौरान या अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार्य हो सकती हैं।

xv) भुगतान केवल ठेकेदार को और वास्तविक सेवाओं के अनुसार मासिक आधार पर किया जाएगा। ठेकेदार को महीने में दी गई सेवाओं के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह में चालान जमा करना होगा।

xvi) इस कार्यालय और विक्रेता के बीच संबंध पूरी तरह से स्वतंत्र अनुबंध पर है और अन्यथा नहीं।

xvii) कामगार इस कार्यालय द्वारा सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे और आयुक्तालय के काम के घंटों के अनुसार ड्यूटी करेंगे।

xviii) आवश्यकता के अनुसार आवश्यक जनशक्ति की आपूर्ति न होने की स्थिति में, विक्रेता वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

xix) अतिरिक्त जनशक्ति के मामले में, जैसा कि इस कार्यालय द्वारा मामले के आधार पर आवश्यक है, ठेकेदार निष्पादित निविदा के लिए दरों सहित समान नियम और शर्तें प्रदान करेगा, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगा। हालांकि यह कार्यालय विक्रेता को अग्रिम रूप से ऐसी किसी आवश्यकता से कम से कम एक दिन पहले सूचित करेगा।

xx) कामगारों को कार्य स्थल तक ले जाने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

xxi) यदि ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए कर्मचारी, निर्धारित कार्य की समय सीमा और लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो यह कार्यालय ठेकेदार को देय राशि से 1,000/- रुपये की कटौती करने के लिए स्वतंत्र है।

xxii) कामगार, जैसा कि प्रदान किया गया है, इस कार्यालय से संबंधित आचार संहिता का पालन करेगा और परिसर के अंदर आवश्यक मर्यादा बनाए रखेगा। वे परिसर के अंदर शराब/धूम्रपान/गुटका आदि का सेवन नहीं करेंगे। कामगारों के कदाचार से होने वाली किसी भी हानि की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि कामगारों द्वारा संपत्ति को कोई नुकसान/चोरी, जैसा कि प्रदान किया गया है, ठेकेदार क्षतियों/क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा और खोई या क्षतिग्रस्त सामग्री को उसके वाणिज्यिक मूल्य की सीमा तक प्रतिस्थापित भी करेगा।

xxiii) ठेकेदार को अपने कामगारों को पहचान बैज प्रदान करना चाहिए जो उन कामगारों द्वारा परिसर के अंदर हर समय पहना जाएगा।

xxiv) ठेकेदार इस कार्यालय को जनशक्ति में किसी भी परिवर्तन का विवरण अग्रिम रूप से उपलब्ध कराएगा।

xxv) क्षेत्राधिकार - उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, दिल्ली न्यायिक सीमाओं के अधिकार क्षेत्र में होगा।

बी.कानूनी

i) सफल बोलीदाता इस कार्यालय में इसके द्वारा तैनात व्यक्तियों के संबंध में अपने तैनात मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि, और कर्मचारी राज्य बीमा आदि से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

ii) सफल बोलीदाता लागू कानून के तहत सभी वैधानिक रजिस्ट्रारों को बनाए रखेगा। एजेंसी मांग पर उसे इस कार्यालय के संबंधित प्राधिकारी या कानून के तहत किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

iii) यदि सफल बोलीदाता उपयुक्त कानून के तहत किसी भी वैधानिक/कराधान दायित्व का पालन करने में विफल रहता है, और इसके परिणामस्वरूप इस कार्यालय को किसी भी हानि/दायित्व, मौद्रिक या अन्यथा में डाल दिया जाता है, तो यह कार्यालय स्वयं की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। मौद्रिक शर्तों में नुकसान या दायित्व की सीमा तक बकाया बिलों की और जिसमें इस संबंध में मुकदमेबाजी खर्च शामिल हैं।

iv) यह कार्यालय ठेकेदार/विक्रेता को बिना कोई कारण बताए किसी भी कर्मचारी को वापस लेने का निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिनकी सेवाएं उपयुक्त नहीं पाई जाती हैं और ठेकेदार/विक्रेता तत्काल प्रभाव से ऐसे निर्देशों से बाध्य होंगे।

अनुलग्नक- I

तकनीकी बोली

आयुक्त, जीएसटी लेखापरीक्षा-1 दिल्ली आयुक्तालय, में अकुशल/अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए

1	संगठन/फर्म का नाम	
2	मालिकों / निदेशकों के नाम	
3	पंजीकृत पता	
4	टेलीफोन नहीं। फैक्स नहीं। मोबाइल नहीं है। ईमेल (यदि कोई हो)	
5	क्या फर्म पंजीकृत है और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस धारक है,	
6	फर्म की पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न की जाए)	
7	फर्म का स्थायी खाता संख्या (पैन) (प्रति संलग्न की जाए)	
8	भविष्य निधि संख्या/ईएसआई पंजीकरण। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय द्वारा आवंटित संख्या, यदि कोई हो (प्रतिलिपि संलग्न करना.)	
9	फर्म के कुल कर्मचारी/कर्मचारी	
10	सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार के नाम संगठन जिसे पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म द्वारा समान सेवाएं प्रदान की गई हैं।	
11	उद्धृत दर क्या सभी वैधानिक के साथ सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन करती है प्रावधानों	
12	निष्पादित कार्य की मात्रा दर्शाने वाले ग्राहकों की सूची उनके साथ	
13	क्षेत्र में अनुभव की अवधि (न्यूनतम पांच वर्ष)	
14	क्या कंपनी के पास आईएसओ प्रमाणपत्र है हां/नहीं - नवीनतम दस्तावेज जमा किया जाना चाहिए	

दिनांक और स्थान:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

नाम

मुहर

घोषणा

अनुलग्नक-II

1. मैं, पुत्र/पुत्री/श्री की पत्नी-----
ऊपर उल्लिखित एजेंसी/फर्म के मालिक/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए सक्षम हूँ;
2. मैंने निविदा के सभी नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूँ;
3. उपरोक्त आवेदन के साथ दी गई जानकारी/दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं। मैं/हम, इस तथ्य से भली-भांति अवगत हूँ/हैं कि किसी भी झूठी/भ्रामक सूचना/गढ़े हुए दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर किसी भी स्तर पर मेरी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

दिनांक: स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :

पूरा नाम:

सील:

अनुलग्नक- III

तकनीकी बोली के साथ दस्तावेज जमा करने के लिए चेकलिस्ट

1. आवेदन - बोली दस्तावेज के अनुबंध-I के अनुसार तकनीकी बोली;
 2. श्रम विभाग के साथ एजेंसी के पंजीकरण की सत्यापित प्रति;
 3. पैन कार्ड की सत्यापित प्रति;
 4. GSTIN (अनंतिम आईडी) की सत्यापित प्रति;
 5. पीएफ की सत्यापित प्रति। पंजीकरण पत्र / प्रमाण पत्र;
 6. ई.एस.आई. की सत्यापित प्रति। पंजीकरण पत्र / प्रमाण पत्र;
 7. अनुभव प्रमाण पत्र (पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों/पीएसयू/बैंकों के लिए निविदा कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा संभाले गए समान अनुबंधों के विवरण के लिए)।
- बोली दस्तावेज के अनुबंध-II में दिए गए अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा